

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता०-

से

तक

जिला-

सं०-

30

सन-2016-17

केस का प्रकार

स्त्रीमातृत्व

आदेश की क्र०स० एवं दि०	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई																							
6/9/16	<p>अनुमण्डल पदाधिकारी            सर मैडिकीनगर विविध वाद सं 23/04            भगवती प्रसाद तुलसीधर वनाग जीमिवाल            मति देवी दत्त 145 द० सं सं विवादी मुक्ति            का अरक्षण में स्त्रीमातृत्व कर लेने का निवेदन            मवदीन पं० सं 802 दिनांक 24-6-16 के द्वारा            प्राप्त है। तथा आवेदक श्री भगवती प्रसाद            तुलसीधर धारा 302 पंचमूला मेडिकीनगर            जय श्री दुम पर के डाला में आवेदन            पत्र दिना है मुक्ति का विवरणी निम्न प्रका            है</p> <table border="1" data-bbox="335 1164 1276 1411"> <tr> <td>शाम</td> <td>रकाम</td> <td>खेसय</td> <td>रकम</td> <td>H No</td> </tr> <tr> <td>रुमा</td> <td>348</td> <td>2684</td> <td>0.28 के</td> <td>363</td> </tr> <tr> <td></td> <td>326</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>उपरोक्त पर के डाला में            में हल्का डप/डाला नि सं जोच प्रसिद्ध            को गोंग को गई। हल्का डप/डाला नि            जांचापरय प्रसिद्ध ठिना है कि शाम रुमा            के जगवती सं 363/III सं 351 में            श्री अनुज तुलसीधर 310 नं० डिमाटुल            रवान के नाम से निम्न लिखित आवेदन            मुक्ति का गोंग चलता है मुक्ति का विवरणी</p> <table border="1" data-bbox="335 1881 1085 2016"> <tr> <td>शाम</td> <td>रकाम</td> <td>खेसय</td> <td>रकम</td> </tr> <tr> <td>रुमा</td> <td>348</td> <td>2684</td> <td>0.28 के</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">- लॉडरी/डी/डी</p>	शाम	रकाम	खेसय	रकम	H No	रुमा	348	2684	0.28 के	363		326				शाम	रकाम	खेसय	रकम	रुमा	348	2684	0.28 के	
शाम	रकाम	खेसय	रकम	H No																					
रुमा	348	2684	0.28 के	363																					
	326																								
शाम	रकाम	खेसय	रकम																						
रुमा	348	2684	0.28 के																						

सूचि नंबर ४०२ दिनांक २५/०१/१६ के अनुसार  
डिजा गया है।

अनुमान पदाधिकारी सर  
मेडिकी नगर के पत्रांक ४०२ दिनांक २५/०१/१६  
के निहित आदेश के अन्तर्गत में प्रमाणित  
सूचि का अपने सरकारी के लिए सीमांकन  
की आवश्यकता है।

आज्ञा सहित सूचना  
द्वारा के चौकीदारों को सूचि करें। प्रमाण  
आज्ञा सूचि का सीमांकन दिनांक १५.०१.१६ को  
कंपन करीन, कंपनी नि के द्वारा की गई।  
०६.०१.१६

२५/१७

आज्ञा उपर्युक्त डिजा।

अनु. पदा०

के पत्रांक ४०२ दिनांक २५/०१/१६ के निहित आदेश  
के अन्तर्गत में प्रमाणित सूचि का सीमांकन  
निर्धारण की भी परतु परतार गलेन प्रमाणित  
सुचि के द्वारा समय को मांग डिजा  
जाने कारण कापी कार्य सम्पन्न नहीं डिजा  
जा सका। प्रमाणित में काकी निर्माण है के  
समय कोन चुका है।

आज्ञा सहित सूचि  
की मांग दिनांक १५.०२.१७ निर्धारण को  
कंपनी है कंपनी करीन/सिद्ध करीन/ कंपनी  
निर्माण को सूचि के एवं सम्पन्न चौकीदारों  
को नीचे निर्माण करें।  
०२.०२.१७

कारवाई

# आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० ..... से ..... तक  
 जिला पल्लार सं० 30 सन् 20 16-17  
 केस का प्रकार कीमती

आदेश की क्र०स० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

10/1/22

कमिश्नरी अफ़्फ़ाफ़िल  
 एंड दफ़्तर के इलाक़ा में ज़रूरी नहीं है।  
 इसके साथ ही कि इस तरह में पढ़ानी  
 की ज़रूरत नहीं है। प्रमाण कि Title Suit  
 No 103/2011 के अंतर्गत जिनके अंतर्गत Subjudice है  
 वक़्त में मुक़दमा की कोर्ट में आ कर  
 Shasthroni Portal में online कोर्ट  
 के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में office  
 के अंतर्गत की कार्यवाही नहीं है।  
 फ़ैर! इस तरह की कार्यवाही बंद की  
 जानी है।

Dev  
10/1/22